

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2024 सत्र में दिये गये आश्वासन

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 19/12/2024

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
84	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.114) दि. 19-12-2024 (श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी)	प्रदेश में विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों से ऑयल चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	विभाग के द्वारा जो भी इसमें दोषी पाये जायेंगे उन पर हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।		
85	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्रं.709) दि. 19-12-2024 (श्री सतीश मालवीय)	उज्जैन जिले में मुख्य अभियंता द्वारा विद्युत लाईनों की शिफ्टिंग में की गई अनियमितता तथा कालोनाईजरो को अनुचित लाभ पहुंचाने की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	प्रक्रियाधीन है।		
86	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.57 (प्रश्न क्रं.1232) दि. 19-12-2024 (श्री बाला बच्चन)	मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 5825/CMS/MLA188/2024, दिनांक 25.10.2024 पर कार्यवाही की जाना।	परीक्षण/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
87	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.1262) दि. 19-12-2024 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	दतिया के ग्रामीण वितरण केन्द्र राजापुर स्थित माँ पीताम्बरा स्टोन क्रेशर पर प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही न होने के कारण महाप्रबंधक (संचा./संधा.) वृत्त दतिया के विरुद्ध कार्यवाही की जाना एवं बिजली की बकाया राशि की वसूली की जाना।	कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रियाधीन है।		
88	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.77 (प्रश्न क्रं.1355) दि. 19-12-2024 (श्री कैलाश कुशवाहा)	विधान सभा क्षेत्र पोहरी में वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के शेष 16 आवेदनों पर कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
89	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.80 (प्रश्न क्रं.1361) दि. 19-12-2024 (श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया)	(1) नरयावली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 33 के.व्ही. लाईन से ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ खुरई रोड स्थित गल्ला मण्डी एवं औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत भार वृद्धि की जाना। (2) नरयावाली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 132/33 के.व्ही. विद्युत उप केन्द्र सागर से निर्गमित 33 के.व्ही. सीहोरा लाईन का इंटरकनेक्शन का कार्य पूर्ण किया जाना।	(1) जी हां। (2) समस्या का समाधान हो जावेगा।		
90	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.141 (प्रश्न क्रं.1546) दि. 19-12-2024 (श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर)	खरगापुर विधान सभा में उत्कर्ष अभियान अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों/मजरो/टोलों/बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना।	कार्य प्रक्रियाधीन है।		
91	अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.531) दि. 19-12-2024 (श्री अभय मिश्रा)	श्री आशीष बेन कार्यपालन यंत्री संचा./संधा. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा द्वारा विद्युत अद्योसंरचना के रखरखाव संबंधित कार्यों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच प्रक्रियाधीन है।		
92	अतारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.956) दि. 19-12-2024 (श्री रमेश प्रसाद खटीक)	करैरा विधान सभा क्षेत्र में अति उच्च दाब उप केन्द्र के निर्माण हेतु शासकीय भूमि को म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत आवंटित किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
93	अतारांकित प्रश्न सं.71 (प्रश्न क्रं.1264) दि. 19-12-2024 (श्री चन्दरसिंह सिसौदिया)	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर क्षेत्रान्तर्गत गरोट (संचालन/संधारण) संभाग के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
94	अतारांकित प्रश्न सं.84 (प्रश्न क्रं.1344) दि. 19-12-2024 (डॉ. सतीश सिकरवार)	(1) विद्युत क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के अंतर्गत रिक्त पदों में भर्ती कराई जाना। (2) विद्युत क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में वर्तमान में लागू संगठनात्मक संरचना में संशोधन किया जाना।	(1) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (3) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
158	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.351) दि. 19-12-2024	(1) भिण्ड विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 11 के.व्ही. के 07 मिश्रित फीडरों का विभक्तिकरण किया जाना।	(1) निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) मैं इसकी सम्पूर्ण जांच करवाकर दोषी पाये गये, तो		

	(श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	(2) भिण्ड विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आरडीएसएस योजनान्तर्गत कार्यवाही न होने की जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना । (3) भिण्ड विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ट्रांसफार्मरों को स्थापित कर बिजली प्रदान की जाना ।	कार्यवाही करूंगा । (3) अतिशीघ्र लगवा दिये जाएंगे ।		
--	-----------------------------	---	---	--	--

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2024 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 19/12/2024

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
95	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.1205) दि. 19-12-2024 (डॉ. सीतासरन शर्मा)	नर्मदापुरम नगरपालिका में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्धारित राशि से अधिक राशि जारी कर अनियमितता करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही की जाना ।	दो महीने के अंदर कार्यवाही हो जाएगी, जिन्होंने भी अनियमितता की है उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी ।		
96	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.1347) दि. 19-12-2024 (श्री मोहन सिंह राठौर)	(1) भितरवार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भरतरी में संचालित आयरन फेक्ट्री से हो रहे प्रदूषण की जांच कर कार्यवाही की जाना । (2) भितरवार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण की जांच कर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही की जाना ।	(1) यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित कर दूंगा कि वे आपके साथ जाकर फिर से इसकी एक बार जांच कर लें । अगर कुछ होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । (2) उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।		
97	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.708) दि. 19-12-2024 (श्री सतीश मालवीय)	उज्जैन नगर योजना 2021 के अंतर्गत ग्राम कमेड की यातायात नगर के लिये आरक्षित भूमि को नियम विरुद्ध व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवर्तित करने की जांच कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर दोनों को भेज दूंगा । (2) हम अधिकारी को दण्डित करेंगे ।		
98	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.980) दि. 19-12-2024 (श्री विष्णु खत्री)	(1) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद बैरसिया क्षेत्र में विकसित शेष 06 अनाधिकृत कॉलोनी के विकासकर्ताओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाना । (2) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में कृषि एवं शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण कार्य की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना । (3) प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के दोषी पाये जाने वाले विकासकर्ताओं की सजा में वृद्धि की जाना ।	(1) कार्यवाही प्रचलित है । (2) मुझे लिखित में देंगे तो मैं उसकी जांच करवा दूंगा । (3) इसमें सजा का प्रावधान बढ़ाएंगे ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.1759) दि. 19-12-2024 (श्री हरिशंकर खटीक)	(1) भोपाल में ग्रीन मेडोज कॉलानी मण्डल को आवंटित भूमि के खसरे एवं रकबे में विसंगति का सुधार कर पट्टा निष्पादन कार्यवाही की जाना । (2) भोपाल में ग्रीन मेडोज कॉलोनी के पीछे बन रहे मेट्रो रेल डिपो का कार्य 10 मीटर छोड़कर प्रारंभ किया जाना एवं नाली निर्माण तथा वृक्षारोपण कराया जाना ।	(1) अतिशीघ्र उस पर काम हो जाएगा । (2) मैं अधिकारी को निर्देश कर दूंगा । (3) उस नियम का पालन नहीं किया होगा तो उसका पालन करवाएंगे ।		
100	तारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.496) दि. 19-12-2024 (श्री रजनीश हरवंश सिंह)	प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत ईमलीखेड़ा के भवनों में बाह्य विद्युतीकरण का कार्य कर आवास निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना ।	कार्य प्रगतिरत है ।		
101	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.214) दि. 19-12-2024 (श्री लखन घनघोरिया)	जबलपुर विकास योजना 1991 में प्रस्तावित एम.आर.-4 रोड के शेष भाग माड्रोताल ब्रिज से महाराजपुर बायपास तक का निर्माण किया जाना ।	कार्यवाही प्रचलन में है ।		
102	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.454) दि. 19-12-2024 (श्री प्रदीप पटेल)	सतना जिले में श्री सुनील सिंह द्वारा भूमि पर गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर प्राप्त की गई विकास अनुज्ञा को निरस्त किया जाना ।	नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी ।		
103	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.43 (प्रश्न क्रं.948) दि. 19-12-2024 (कुँवर अभिजीत शाह)	(1) टिमरनी नगरपालिका क्षेत्र के लिये अमृत टू योजना के तहत छिपानेर से टिमरनी शहर तक नर्मदा का पानी सप्लाई किया जाना। (2) अमृत टू योजनान्तर्गत इन्टेक वेल के लिये छिपानेर में भूमि आवंटित की जाना ।	(1) कार्यवाही प्रचलित है । (2) कार्यवाही प्रचलित है ।		
104	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.999) दि. 19-12-2024 (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल)	भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के निविदाकार द्वारा राशि का भुगतान किया जाना ।	आर्बिट्रेशन संबंधी कार्यवाही प्रचलित है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
105	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.1031) दि. 19-12-2024 (श्री महेन्द्र नागेश)	जिला नरसिंहपुर में नगर पालिका परिषद गोटेगांव में संपत्तिकर की दर कम की जाना ।	जो परीक्षणाधीन है ।		
106	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.59 (प्रश्न क्रं.1249) दि. 19-12-2024 (श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह)	पन्ना विधान सभा अंतर्गत नगर पालिका परिषद पन्ना में निर्मित अवैध कॉलोनियों एवं उनके विकासकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	अनाधिकृत कॉलोनी पाए जाने पर म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।		
107	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.65 (प्रश्न क्रं.1263) दि. 19-12-2024 (श्री प्रताप ग्रेवाल)	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक 8299 एवं 8321 दिनांक 08.07.2024 में उल्लेखित विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
108	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.74 (प्रश्न क्रं.1346) दि. 19-12-2024 (डॉ. सतीश सिकरवार)	नगर पालिका निगम मुरैना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरांत समस्त स्वत्वों का भुगतान किया जाना ।	भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।		
109	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.82 (प्रश्न क्रं.1364) दि. 19-12-2024 (श्री राजेश कुमार शुक्ला)	नर्मदा नदी के जल को निर्मल तथा प्रवाह को अवरिल रखने एवं समस्त विकास के लिये कार्ययोजना तैयार की जाना ।	(1) कार्यवाही प्रचलित है । (2) कार्यवाही प्रचलित है ।		
110	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.85 (प्रश्न क्रं.1371) दि. 19-12-2024 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र दिनांक 08.11.2024 एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री को प्रेषित पत्र दिनांक 08.11.2024 पर कार्यवाही की जाना ।	पत्रों पर कार्यवाही प्रचलित है । प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
111	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.91 (प्रश्न क्रं.1387) दि. 19-12-2024 (श्री आतिफ आरिफ अकील)	दीनदयाल रसोई योजना अंतर्गत संचालित रसोई केन्द्र संचालकों/संस्थाओं द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कर कार्यवाही की जाना ।	वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रचलन में है ।		
112	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.100 (प्रश्न क्रं.1419) दि. 19-12-2024 (श्री दिनेश जैन बोस)	(1) तारांकित प्रश्न क्रमांक 1220 एवं तारांकित प्रश्न क्रमांक 3097 के परिप्रेक्ष्य में की गई जांच पर कार्यवाही की जाना एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना । (2) नगर पालिका द्वारा नगर पालिका निधि का उपयोग नियम विरुद्ध करने पर दोषियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही की जाना ।	(1) जांच की कार्यवाही प्रचलित है । (2) नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । (3) कार्यवाही की जायेगी ।		
113	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.124 (प्रश्न क्रं.1496) दि. 19-12-2024 (श्रीमती रीती पाठक)	सीधी नगर पालिका क्षेत्र के आसपास के विशिष्ट ग्रामों को नगर पालिका क्षेत्र में जोड़कर सीधी नगर पालिका परिषद का दायरा बढ़ाया जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
114	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.132 (प्रश्न क्रं.1519) दि. 19-12-2024 (सुश्री मंजू राजेन्द्र दादू)	नगर पालिका निगम बुरहानपुर में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाना ।	कार्यवाही प्रचलित है ।		
115	अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.55) दि. 19-12-2024 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा के विरुद्ध हुई शिकायत पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाना ।	कार्यवाही प्रचलन में है ।		
116	अतारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.194) दि. 19-12-2024 (श्री महेश परमार)	नगर परिषद खिलचीपुर जिला राजगढ के द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की जांच कर गुण-दोष के अनुसार अध्यक्ष व अधिकारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) जांच प्रचलित है, जांच उपरांत गुण-दोष के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । (2) जांच प्रचलित है, जांच प्रतिवेदन अनुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
117	अतारांकित प्रश्न सं.56 (प्रश्न क्रं.1164) दि. 19-12-2024 (श्री महेश परमार)	एम.पी.आई.डी.सी.क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन के क्षेत्रान्तर्गत उज्जैन जिले में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र विक्रय उद्योगपुरी में 05 MLD क्षमता का एस.टी.पी. को सी.ई.पी.टी. में परिवर्तित किया जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
118	अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.1319) दि. 19-12-2024 (श्री शरद जुगलाल कोल)	नगर पालिका ब्यौहारी में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति/पदस्थापना की कार्यवाही की जाना ।	कार्यवाही प्रचलन में है । परीक्षण उपरांत जिला चयन समिति की तिथि निर्धारित कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।		
119	अतारांकित प्रश्न सं.81 (प्रश्न क्रं.1341) दि. 19-12-2024 (श्री दिनेश गुर्जर)	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत छोटा गणेश नगर कॉलोनी, होशंगाबाद रोड में सुलभ काम्प्लेक्स निर्माण की भूमि के स्वामित्व का निर्धारण कर निर्माण किया जाना ।	कार्यवाही प्रचलन में है ।		
120	अतारांकित प्रश्न सं.152 (प्रश्न क्रं.1547) दि. 19-12-2024 (श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर)	(1) नगर परिषद खरगापुर में कुडीला रोड के चौराहे पर पुरुष/महिला शौचालय का निर्माण किया जाना । (2) नगर परिषद बल्देवगढ़ में खरगापुर तिगैला पर महिला/पुरुष शौचालय का निर्माण किया जाना । (3) नगर परिषद खरगापुर में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण कराकर एवं नल लाईन बिछाकर पीने के पानी की व्यवस्था की जाना ।	(1) जी हां । (2) दिनांक 30.03.2025 तक निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा । (3) पानी प्रदाय किया जावेगा । पाईप लाईन रहित वार्डों में टैंकर से पानी प्रदाय किया जायेगा ।		
121	अतारांकित प्रश्न सं.163 (प्रश्न क्रं.1576) दि. 19-12-2024 (डॉ. अभिलाष पाण्डेय)	प्रदेश में बढ़ती अग्नि दुर्घटनाओं के मद्देनजर मध्यप्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू किया जाना ।	वर्तमान में भी प्रक्रियाधीन है, जिसे लागू करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।		
159	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.289) दि. 19-12-2024 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	कटनी जिले के नगर पालिक निगम कटनी क्षेत्र में घंटाघर से जगन्नाथ चौक की मुख्य सड़क का डामरीकरण किया जाना ।	ठीक है जैसा माननीय सदस्य चाहते है वैसे मैं निर्देश कर दूंगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2024 सत्र में दिये गये आश्वासन

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

दिनांक: 19/12/2024

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
122	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.123 (प्रश्न क्रं.1495) दि. 19-12-2024 (श्रीमती रीती पाठक)	प्रदेश में सभी शासकीय कार्यालयों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनान्तर्गत सौर ऊर्जा से ऊजीकृत किया जाना ।	जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2024 सत्र में दिये गये आश्वासन

पशुपालन विभाग

दिनांक: 19/12/2024

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
123	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.73 (प्रश्न क्रं.1345) दि. 19-12-2024 (डॉ. सतीश सिकरवार)	प्रदेश में प्रति गौवंश को 40 रूपये प्रतिदिन के मान से अनुदान राशि प्रदान की जाना ।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है । (2) सक्षम स्वीकृति उपरांत स्वीकृति अनुसार राशि दी जावेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2024 सत्र में दिये गये आश्वासन

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

दिनांक: 19/12/2024

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
124	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.32) दि. 19-12-2024 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	मध्यप्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना।	लगभग 01 माह, डेढ माह के अंदर उनको सारी छात्रवृत्ति दे दी जाएगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2024 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 19/12/2024

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
125	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.1567) दि. 19-12-2024 (श्री देवेन्द्र पटेल)	रायसेन जिलान्तर्गत बेगमगंज से सुल्तानगंज मार्ग की जांच कर मापदंड अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जाना।	आपसे बात करूंगा और बात करने के बाद में उसकी गुणवत्ता को लेकर जो आपकी आशंकाएं हैं, वह दूर हों और अच्छे स्तर की सड़क बने हमारी यह कोशिश होगी।		
126	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.1497) दि. 19-12-2024 (श्री चैन सिंह वरकडे)	मंडला जिले में 03 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण हेतु प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की जाना।	(1) हम उसका उत्तर उनको देंगे। (2) यह मैं इन्हें जरूर बताऊंगा।		
127	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.54 (प्रश्न क्रं.1180) दि. 19-12-2024 (श्री भैरो सिंह बापू)	मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र पंजीयन क्रमांक 4744/सी.एम.एस./एम.एल.ए. 165/2024 अनुसार जिला आगर मालवा अंतर्गत सड़कों एवं पुलियों का निर्माण किया जाना।	शेष प्रस्ताव परीक्षाधीन है।		
128	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.1333) दि. 19-12-2024 (श्री राजेश कुमार वर्मा)	(1) गुनौर विधान सभा अंतर्गत निर्माणाधीन मार्ग के कार्य की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। (2) विधान सभा सत्र जुलाई 2024 के प्र.क्र. 1947 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जांच में विलंब होने के कारण दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) प्रश्नाधीन कार्य की जांच प्रचलन में है। (2) जो परीक्षाधीन है।		
129	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.70 (प्रश्न क्रं.1334) दि. 19-12-2024 (श्री राजेश कुमार वर्मा)	विधान सभा गुनौर की गुणवत्ता रहित सड़कों की जांच कर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	प्राप्त उत्तर परीक्षाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
130	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.71 (प्रश्न क्रं.1339) दि. 19-12-2024 (श्री दिनेश गुर्जर)	मुरैना विधान सभा क्षेत्र के रिठौरा-नरसिंहपुर मार्ग निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच परिणाम अनुसार कार्यवाही की जा रही है।		
131	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.1443) दि. 19-12-2024 (श्री दिनेश राय मुनमुन)	सिवनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में निर्माणाधीन फोरलेन मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
132	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.128 (प्रश्न क्रं.1502) दि. 19-12-2024 (श्री निलेश पुसाराम उईके)	जिला मुख्यालय पांडुर्णा में पांडुर्णा-अमरावती स्टेट हाईवे मार्ग पर रेल्वे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।		
133	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.156 (प्रश्न क्रं.1760) दि. 19-12-2024 (श्री हरिशंकर खटीक)	विधान सभा जतारा में गोवा से खजरी मार्ग एवं जतारा तिगैला से चंदेरा स्यावनी खरौं मार्ग का निर्माण किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
134	अतारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.192) दि. 19-12-2024 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सागर संभाग में मुख्य अभियंता सागर द्वारा वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक नियम विरुद्ध की गई पूरक स्वीकृति की जांच कर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रक्रियाधीन है।		
135	अतारांकित प्रश्न सं.130 (प्रश्न क्रं.1464) दि. 19-12-2024 (श्री नारायण सिंह पट्टा)	मंडला जिले के विकासखण्ड बिछिया के ग्राम करियागांव के चिकनिया नाले में पुलिया निर्माण का कार्य किया जाना।	प्रक्रिया प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर, 2024 सत्र में दिये गये आश्वासन

घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग

दिनांक: 19/12/2024

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
136	अतारांकित प्रश्न सं.116 (प्रश्न क्र.1427) दि. 19-12-2024 (श्री विपीन जैन)	मंदसौर विधान सभा क्षेत्र में विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय की बस्तियों में विकास कार्य हेतु बजट को बढ़ाया जाना।	जी हां। जी हां।		
137	अतारांकित प्रश्न सं.159 (प्रश्न क्र.1566) दि. 19-12-2024 (श्री बृज बिहारी पटैरिया)	प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदायों के परिवारों का विभागीय पोर्टल तैयार कर डाटा बेस बनाया जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।		